कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60302/विद्यार्थी/2022–23 दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त संस्थाप्रधान राजकीय विद्यालय।

विषय–: शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र–05 में संशोधन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विस्तृत रिकार्ड स्कूल स्तर से प्रपत्र–9 में भरवाया जाता है और विद्यार्थी की बेसिक सूचनायें यथा–स्कालर रजिस्टर नम्बर, नाम, माता–पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग,जाति संवर्ग, मोबाईल नम्बर प्रपत्र–5 में प्रदर्शित कर संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी, विद्यार्थी डाटा की परिशुद्धता, विश्वसनीयता एवं विभिन्न लाभकारी योजनाओं की डी.बी.टी. हेतु जनआधार से अधिप्रमाणन (Authentication) को मध्यनजर रखते हुये विद्यार्थी प्रपत्र–5 के डाटा में सुधार हेतु निम्नानुसार **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** निर्धारित की जाती है :–

(A) विद्यार्थी डाटा को जनआधार से अधिप्रमाणित नही किया गया है तो–

1. शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र–5 के विद्यार्थियों से सम्बंधित सूचनाओं को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों अथवा माता–पिता/अभिभावक से दस्तावेज प्राप्त कर विद्यालय रिकार्ड के अनुसार स्थानीय स्तर से सत्यापित किया जायेगा।
2. जिन विद्यार्थियों का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उन्हें एक बार प्रपत्र पांच में स्टाफ लॉगिन से एवं स्टाफ लॉगिन नहीं होने पर स्कूल लॉगिन से डाटा में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जोकि निम्न प्रकार से होगी :–
   a. विद्यार्थी के नाम में संशोधन को SoundX (समान ध्वनि वाले शब्द) के माध्यम से जांच करके ही अनुमत किया जायेगा और यदि सम्पूर्ण नाम (यथा Vikas का Ramesh) किया जा रहा है, साथ ही लिंग और जन्म दिनांक में भी संशोधन है तो उसके संशोधन की सुविधा सक्षम उच्च स्तर पर दी जायेगी।
3. विद्यार्थी की श्रेणी जैसे BPL, ABPL, EWS, CWSN आदि को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करने के पश्चात स्टॉफ विण्डो लॉगिन से एक बार अद्यतन की सुविधा दी जायेगी। इसके बाद इसमें संशोधन के लिये उच्च स्तर पर सुविधा दी जायेगी।
4. शाला दर्पण पर विद्यार्थी की जाति संवर्ग में दस्तावेजों के आधार पर एक बार संशोधन का विकल्प पर स्टॉफ विण्डो लॉगिन पर उपलब्ध करवाया जायेगा, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ उस जाति संवर्ग में ले लिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
5. विद्यार्थी के नाम से पूर्व में कुमार (Kumar), कुमारी (Kumari), श्रीमान (Mrs.) हटाना अनुमत होगा।
6. विद्यार्थी के नाम में हिन्दी फोन्ट एवं विशेष वर्ण (Special Character) में संशोधन अनुमत होगा।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.22 17:53:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4567047

(B) विद्यार्थी का डाटा जनआधार से अधिप्रमाणित कर दिया गया है तो –

1. विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में से कोई दो संशोधन कक्षाध्यापक के स्टॉफ विण्डों लॉगिन पर केवल एक बार करना अनुमत होगा।
2. विद्यार्थी के नाम में संशोधन को SoundX (समान ध्वनि वाले शब्द) के माध्यम से जांच करके ही अनुमत किया जायेगा।
3. विद्यार्थी के लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन के लिए वांछित दस्तावेज आवश्यक हैं।
4. शाला दर्पण पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित होने पर केवल SoundX के साथ या जनआधार में नाम में संशोधन अपेक्षित होने पर शाला दर्पण पोर्टल पर जनआधार पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया की अनुमति दी जायेगी।
5. विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन हेतु प्रक्रिया जनआधार प्राधिकरण/DOIT&C से चर्चा अनुसार पुनः अधिप्रमाणित की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल पर केवल एक बार उपलब्ध रहेगी।

(C) जिन विद्यार्थियों के द्वारा अपने नाम, माता–पिता के नाम एक बार संशोधन का विकल्प शाला दर्पण पर देने के बाद पुनः परिवर्तन विभागीय अथवा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तिन/संशोधन करवाया है, उनके नाम को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेजों के आधार पर सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर पर प्रदान की जायेगी।
(D) यदि किसी विद्यार्थी की प्रपत्र–5 की समस्त सूचनाओं को एक बार लॉक कर दिये जाने के पश्चात सम्पूर्ण परिवर्तन वांछित होने पर वह केवल निदेशालय स्तर से ही संभव हो पायेगा।

उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जायेंगी। इसके पश्चात भी यदि त्रुटियां रहती है तो सम्बन्धित स्टॉफ एवं संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे।

उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(काना राम)
I.A.S
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः– शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60302/विद्यार्थी/2022–23 दिनांक

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव,राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल–जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में वांछित प्रावधान शालादर्पण पोर्टल पर तत्काल उपलब्ध करवायें। ।
4. उपायुक्त–तृतीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.22 17:53:33 IST
Reason: Approved